उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग - 2

संख्या - क०नि० -2 - 846/ ग्यारह -9 (47)/17 - उ० प्र० अधि० -1 -2017 -आदेश (13)-2017

लखनऊ : दिनांक: 30 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 54 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करते हैं कि अधिनियम की उक्त उपधारा के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय को उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 की मद 5 की उपमद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति के मामलें में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(एस० राजलिंगम)

विशेष सचिव